निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारेगी एमओयू मानीटरिंग यूनिट

एमओयू की मानीटरिंग के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किया गया, अधिकारियों की जवाबदेही तय

राब्यू, लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआइएस-23) में आए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की कवायद में जुटी राज्य सरकार ने अधिकारियों की सीधे तौर पर जवाबदेही सुनिश्चित की है। इस कड़ी में निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से किए गए करीब 20 हजार समझौता ज्ञापन (एमओयू) को ससमय धरातल पर उतारने के लिए जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक त्रिस्तरीय संस्थागत फ्रेमवर्क तंत्र तैयार किया गया है। आठ सपोर्ट यूनिट की भी स्थापना की जाएगी।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के स्तर से जारी शासनादेश में जिला व विभागीय कार्यान्वयन इकाई के गठन के साथ-साथ राज्य स्तर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एमओयू मानीटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। जिलास्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे और संबंधित जिला उद्योग केंद्र इसके सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। इस इकाई में मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यूपीसीडा या संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रदूषण बोर्ड, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन और अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधि बतौर सदस्य शामिल होंगे। मंडलायुक्त के स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में जिला एमओयू इकाई की समीक्षा की जाएगी।

यूपीजीआइएस-23

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

वहीं, विभागीय स्तरीय एमओयू कार्यान्वयन इकाई (विभागीय एमआइयू) में विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एमआइयू के अध्यक्ष होंगे और विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस इकाई का दायित्व होगा कि एमओयू की प्रगति का विवरण प्रत्येक 15 दिनों में अपडेट करे। शासनादेश जारी होने के 30 दिन की अवधि में निवेशकों से संपर्क कर उनकी भूमि, विद्युत व जल संयोजन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

एमओयू मानीटरिंग यूनिट : अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एमओयू मानीटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। मानीटरिंग यूनिट सभी एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा नियमित अंतराल पर करेगी और निवेशकों की समस्या का समाधान निकालेगी। 17 सदस्यीय एमओयू मानीटरिंग यूनिट में एमएसएमई, ऊर्जा, औद्योगिक विकास विभाग, राजस्व विभाग और आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा व ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विकास प्राधिकरण भी इसके सदस्य होंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, अग्निशमन विभाग के महानिदेशक, विद्युत सुरक्षा के निदेशक, इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे। विभागीय एमओयू के नोडल अधिकारियों को बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य एमओयू मानिटरिंग यूनिट में जगह दी गई है।

औद्योगिक इकाइयों को सरकार का प्रोत्साहन

39 करोड़ का इंसेंटिव

नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी(फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उद्यमियों के बीच मंगलवार को 39 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन (इंसेंटिव) राशि का वितरण किया गया। पिकअप भवन में आयोजित कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत नौ इकाइयों को इंसेंटिव की राशि प्रदान की। इस अवसर पर औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी भी उपस्थित थे।

इस मौके पर मंत्री नन्दी ने कहा कि यह नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश है। जहां हर जगह कानून का राज है। जो बदमाश, गुंडे और माफिया उद्यमियों और व्यापारियों को परेशान करते थे, आज वे सलाखों के पीछे हैं। कहा, सपा-बसपा की सरकारों में माफिया, उद्यमियों से गुंडा टैक्स वसूलते थे और हमारी सरकार उद्यमियों को इंसेंटिव प्रदान कर रही है।